RAJYA SABHA

Friday, 14th November, 1986/23 Kartika 1908 (Saka)

The House met at eleven of the Clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Suicide by Scientist of Indian Agricultural Research Institute

*161. SHRI PRAMOD MAHAJAN:†
SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state.

(a) the reasons for which Shri S. D. Sahu, Scientist, Indian Agricultural Research Institute committed suicide on the 15th August, 1986; and

(b) whether he was promoted by the Indian Agricultural Research Institute after his suicide?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI G. S. DHILLON): (a) Shri S. D. Sahu, Scientist S-2 of Indian Agricultural Research Institute did not leave any suicide note. Therefore specific reasons for his suicide are not known.

So far as his career advancement is concerned, the Agricultural Scientists Recruitment Board evaluated his research achievements and recommended two advance increments and not the merit promotion w.e.f. due date i.e. 1st July, 1982. He was recommended merit promotion from 1st July, 1983, and was promoted with effect from the same date.

(b) No, Sir.

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, सरकार का उत्तर बहुत ही असमाधानकारक है । मैंने वैज्ञानिक की मृत्यु के कारण पूछे थे, लेकिन उत्तर में सरकार कहती है कि मृत वैज्ञानिक ने आत्म-हत्या के बारे में कोई टिप्पणी नहीं छोड़ी है, इसलिये विशेष कारणों का हमें पता नहीं लगा । मई में एक वैज्ञानिक श्री पैट्रो ने अपनी आत्म-हत्या की टिप्पणी छोड़ी थी जिसमें उसने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पर आरोप लगाये थे । चूंकि इस बार टिप्पणी नहीं है, इसलिये मंत्री महोदय को इसके विशेष कारणों का पता नहीं लगा । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आत्म-हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए आत्म-हत्या की टिप्पणी जरूरी है ? पुलिस ने जांच की होगी और विशेष न सही, को साधारण कारण तो सामने आये होंगे ? पुलिस को कुछ तो पता लगा होगा । इसके बारे में मंत्री महोदय जानकारी दे सकते हैं ।

श्री जी० एस० ढिल्लो : चेयरमैन साहब, उसने अगर कोई नोट छोड़ा होता तो तब भी हमें इसकी इन्क्वायरी करानी थ । नहीं छोड़ा, तब भी करवा रहे हैं और हमने यह जानने क कोशिश क है कि इस किस्म के बुरे वाकये हो जाने पर इसके सही कारण क्या हैं ? पुलिस ने जो जांच क उसमें यह भ पूछा गया है कि क्या कोई तरक्क वगैरह या कोई डिपार्टमेंट के बारे में कोई दोष तो नहीं है । कल शाम मुझे पता लगा कि उनकी रिपोर्ट में यह भ लिखा गया है कि हो सकता है कि शायद प्रोमोशन का सवाल हो । प्रोमोशन तो सन् 1983 में हो गया था । नेक्स्ट प्रोमोशन कोई ड्यू नहीं थ । जब पहले प्रोमोशन हुआ तो वह शिलांग में काम कर रहे थे, इस इन्सटिट्यूट में काम नहीं कर रहे थे । वे आई०सी०ए०आर० के शिलांग के पास एक रिसर्च सेन्टर में काम करते थे । सन् 1982 में जैसा आपको बताया गया है कि एग्रकल्चरल साइंटिस्ट्स रिक्रूटमेन्ट बोर्ड ने जो साइंटिस्ट्स का पैनल बनाया उसमें हर साइंटिस्ट्स का पांच साल का एसेसमेन्ट होता है और उसमें केटेगर ज होत है, ए, प्लस ब , ब और स । यह भ दो दफा होता है । एक ह ट्रायल में उन्होंने ब प्लस–1 में दिया और दूसरे में ए दिया । जैसा रूल है, उनको पहले

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Pramod Mahajan.

वर्ष दो इंक्रमेन्ट द गई। अगले साल में जब "ए" भी उन्होंने प्राप्त कर लिया, उनकी प्रोमोशन हो गई। उसके बाद वे आई०ए०आर०आई० दिल्ली में आए। वे इस मामले के हालात हैं।

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, he has not replied to my first supplementray. I asked about police investigation, and he is telling me about promotions.

श्री जी० एस० ढिल्लों : मैंने कहा है कि पुलिस इंवेस्टिगेशन करवा चुके हैं। उसमें उन्होंने प्रोमोशन वगैरह की बात भी कहीं हैं।

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पिछले गये दस वर्षों में अनेक बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने आत्म हत्याएं कर ली हैं। यह देश की बुद्धि क हानि है और एक ही संस्थान में लगातार वैज्ञानिकों द्वारा आत्म-हत्या होने के कोई विशेष कारण जरूर होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि वहां का माहौल ऐसा बना है कि जिसके कारण वैज्ञानिकों को परेशानी होती है। इस संदर्भ में जब भी मंत्र महोदय से पूछा जाता है तो वे उन्हीं अधिकारियों का दिया हुआ बयान यहां पर दोहरा देते हैं जो अधिकारी इस विषय में कटघरे में खड़े हैं। इसलिए मैं मंत्र महोदय से इस बारे में पूछना चाहूंगा कि इतनी आत्म-हत्याओं के सिलसिले के बाद क्या वे अधिकारियों द्वारा दिये गये बयान के बजाय एक संसदीय समिति द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में लगातार वैज्ञानिकों द्वारा आत्महत्याओं की जांच करने की व्यवस्था करेंगे?

श्री जी० एस० ढिल्लों : चेयरमैन साहब, मैं आनरेबल मेम्बर को बताना चाहता हूं कि दुःख तो मुझे भी हुआ। मेरे आने से पहले जो मंत्री थे उनका जवाब भी मैंने देखा है। जो चार व्यक्ति आपने कहे हैं...(**व्यवधान**)।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : पांच ने आत्म-हत्या की है।

श्री जी० एस० ढिल्लों : पांच समझ लीजिये। अगर आप इस मामले को भी समझते हैं तो पांच समझ लीजिये। सुप्रीम कोर्ट ने सन् 1970 और 1972 के एक मामले के बारे में अपनी आब्जरवेशन दी थी। वह पुराना केस था। पैट्रो का मैं हाउस में बता चुका हूं कि इंवेस्टिगेशन हो रही है। हम उसका इंतजार कर रहे है उसके बारे में मैं वक्त बता चुका हूं कि वे साइंटिस्ट्स नहीं हैं। वे दूसरी टेक्नीकल सर्विस से आए थे... (**व्यवधान**)।

MR. CHAIRMAN: Let him complete the answer.

श्री जी० एस० ढिल्लों : आपने साइंटिस्ट्स का पूंछा था। मैंने कहा था कि इन्क्वायरी करा रहे हैं। लेकिन वे साइंटिस्ट्स नहीं हैं, दूसरी लाइन से थे। आपने कहा कि आप उनको पूछते नहीं हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमने पूछताछ की है और उनको मदद भी दी है। उनकी बीबी को मदद दी है। मैं परसनली सारे परिवार से मिला हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप यकीन जानिये, कभी किसी को स्पेयर नहीं करेंगे चाहे कोई किसी जगह पर हो... (**व्यवधान**)।

श्री राम अवधश सिंह : क्या आप पार्लियामेंटरी कमेटी से जांच करवायेंगे?

श्री जी० एस० ढिल्लो : जब पूरी रिपोर्ट आ जायेगी तो मैं हाउस के सामने बताऊंगा।

SHRI LAL K. ADVANI: The Minister has written to me saying that he died because of personal reasons; though he had written a suicide note charging the Institute Director.

श्री जी० एस० ढिल्लों : उसमें जो आयेगा, वही तो हम बतायेंगे। पुलिस को

कहा गया है कि अगर परसनल कारण भी है तो वह भी बताइय। जो भी बात हमारे सामने आयेगी वह हम आपके सामने रख देंगे। हम कोई बात छिपाकर नहीं रखना चाहते हैं। इखलाकी तौर पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं ऐसी बात आपके सामने रखूं। कोई बात छिपाने की जरूरत नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन : क्या आप पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाने से इंकार करते हैं। आप यस या नो में जवाब दीजिये।

श्री जी० एस० ढिल्लों : नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, यह हत्याओं का सिलसिला और वह भी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसी प्रमुख संस्थाओं में कब तक चलेगा? 15 अगस्त के दिन कोई वैज्ञानिक आत्म हत्या कर ले भले ही उसने नोट न छोड़ा हो। क्या सरकार का यह काम नहीं है कि यह पता लगाये कि वह वैज्ञानिक आत्म हत्या के लिये क्यों प्रेरित हुआ? एक और मामले में आपने कह दिया कि घर में गड़बड़ थी इसलिये मर गया। इस मामले में आप वह भी नहीं कह सकते।

श्री जी० एस० ढिल्लों : अभी तो मैंने नहीं कहा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पेट्रो के बारे मे कहा। सभापति जी, असल बात यह है कि यंग साइंटिस्ट फ्रस्ट्रेशन अनुभव करते हैं। वहां रिसर्च के लिये कांजीनियल एटमोस्फीयर नहीं है। जो सीनियर साइंटिस्ट्स है वे जूनियरों को ठीक तरह से काम नहीं करने देते। मेरे पास एक नाम है श्री शाम सुन्दर खन्ना। यह साहू के बगल वाले कमरे में बैठते थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा अनुसंधान भी किया पूसा लीवर का। क्योंकि उससे उसका नाम हो सकता था इसलिये उसको रिसर्च से हटा कर दफ्तर में भेज दिया गया। बड़े साइंटिस्ट्स बैठे रहें और छोटे साइंटिस्ट्स काम करें और काम करके नाम कमाएं यह वे नहीं होने देना चाहते। अगर छोटे साइंटिस्ट्स काम करते हैं और रिसर्च पेपर तैयार करते हैं तो बड़े साइंटिस्ट्स उस पर अपना नाम छपवा कर छोटों को उसका लाभ नहीं लेने देते।

Something is definitely wrong with this prestigious research institution. The honuorable Minister is new to this Ministry. I know he is very sympathetic to scientists and research workers, though I am not sure about his colleague sitting on the right....

MR. CHAIRMAN: No, that is not part of your question.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I take objection to what Mr. Vajpayee has said. He has doubted my integrity and he should withdraw his words.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I never questioned his integrity. I questioned his attitude, that he was not so sympathetic....

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Therefor I am not replying; my senior colleague is replying.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: He is trying to promot his senior colleague. Why cannot the honurable Minister agree to the constitution of a parliamentary committee to go into this case of suicide in the Reseahrch Institute? What stands in the way of conceding such a demand?

SHRI G. S. DHILLON: With great respect to my old friend, Shri Vajpayeeji, I have already mentioned that in the case under reference we are already having some investigation. But at the same time there are certain problems mentioned to him by Mr. Khanna but not to the Secretary (Agriculture) nor to me nor to the Department of Research. No such complaint has been made to us nor any information passed on to us so that we could examine that. If you yould ask Mr. Khanna, I give full assurance for keeping it secret, if he can just tell me what his problems are, those can be got inquired into. As far as my other colleague is concerned, no, I was not prompted. Did you think you could prompt me? You were there in Lok Sabha. Under many circumstnces you tried. I did consult you but not for prompting. Same is the case here.

MR. CHAIRMAN: Tried to provoke you or prompt you?

SHRI G. S. DHILLON: No, Sir, As far as Mr. Vajpayee is concerned, I fully keep myself under very cool atmosphere.

As far as the parliamentary committee is concerned,.....

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Let him not reject it out of hand.

SHRI G. S. DHILLON: .... we are going to have it probled; we shall get it probed by scientists who know the ins and outs of it. We are thinking of having some review of the working of the Indian Council of Agricultural Research.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Let him not reject it out of hand; let him give some consideration.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि आई०सी०ए०आर० और आई० ए० आर० आई० में पांच सुइसाइड हो चुके हैं, जिनकी चर्चा आपने भी और माननीय सदस्यों ने भी की है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या केवल इस वजह से सुसाइड हो रहे हैं क्योंकि उनको समय पर प्रमोशन नहीं दिया जाता है, उनको एफिशिएंशी बार नहीं दिया जाता है । वे लिख कर देते हैं फिर भी नहीं दिया जाता है । यहां जो एक कोटरी बनी हुई है आई०सी०ए० आर० के सेक्रेटरी और डाइरेक्टर को वह इरादतन उनके प्रमोशन और एफिशिएंशी बार को रोके हुये हैं । मान्यवर, सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि तीन बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे चुके हैं । मान्यवर, मैं केवल तीन लाइनें पढ़ता हूं—

"Referring to the suicides in the ICAR and the IARI the Supreme Coutr observed that they were not stray incidents, but the outcome of persecution, torture and harassment emanating from the political environment in the ICAR and its affiliates."

इससे ज्यादा और क्या आपके ऊपर स्ट्रिक्चर हो सकता है, आई० सी० ए० आर और आई०ए०आर०आई० के ऊपर । मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा है कि 1984 में और 1985 में दो बार 11-2-85, 31-10-85 और 24-9-84 को आई०सी०ए०आर० ने अटर्ली अनडिजर्वल डा० एफ० एल० मेहता को जिनको 16 साल की सर्विस थी उनकी वायो-कैमिकल डिवीजन का चेयरमैन या डाइरेक्टर बनाया जब कि डा० वाई० पी० गुप्ता जो सीनियर थे और सुप्रीम कोर्ट ने जिन्हें सीनियर माना है उनको आपने नहीं बनाया । जब आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट और स्ट्रिक्चर्स पर भी अमल नहीं कर सकते तो आप लोगों को, क्या न्याय दे सकते हैं । इसी कारण से वहां पर मान्यवर सुइसाइड हो रहे हैं ? (वी) मान्यवर अगर आप पार्लियामेंटरी कमेटी के गठन में इन्क्वायरी कमेटी के गठन में किन्हीं कारणों से तैयार नहीं हैं तो क्या आप इस सारे मामले को सी०बी०आई० को जांच करने के लिये देंगे ?

श्री जी० एस० ढिल्लों : देखिये, आदरणीय वर्मा जी, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खासतौर से, विशेषतौर से जिक्र किया है । सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वह उन केसों में था जो 72 और 74 में तीन केसेज आये थे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मैंने तो 84 और 85 के तीन बताये हैं मान्यवर । उन्होंने कहा कि 72 और 74 के हैं यह गलत बात है ।

SHRI G. S. DHILLON: The judgement was in respect of three or four cases relating to the years 1972—74 and the directions given by the Supreme Court in the said matter and the other matters clubbed with the said petition have been implemented.

मैंने सिर्फ इसलिये जवाब दिया है हालांकि यह क्वेश्चन पहले दो-तीन बार डिसकस हो चुका है फिर भी मैंने कहा कि अगर आप का किसी तरह से शक दूर हो सकता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट के उन दो केसेज को जो आज से 10–15 साल पहले 72–73 में...

श्री वीरेन्द्र वर्मा : 84–85 के हैं।

श्री जी० एस० ढिल्लों : अगर आप कापी दे सकें तो...

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मैं भेज चुका हूं और फिर भेज दूंगा।

श्री जी० एस० ढिल्लों : मुझे याद नहीं। मगर आपने इसको कैटागरीकली कहा है तो मैं इसको एक्जामिन कर लूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, मंत्री जी ने कहा था कि मैं आपको बुलाऊंगा और उनकी मौजूदगी में डिसकस करूंगा। इसके लिये टाइम दिया जायेगा। यह मेरे पास लिखा हुआ आया है।

MR. CHAIRMAN: The Minister will now see.

श्री जी० एस० ढिल्लों : जो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ। यह केस 72–73 से रेलेटेड है, इसके बारे में है तो मैंने यही कहा था अगर जरूरी है... (व्यवधान) ...तो आप खुशी से आइये।

MR. CHAIRMAN: I think the Minister may discuss it with Mr. Verma. Now, Mr. Nirmal Chatterjee.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Sir, the specific question is certainly important because it concerns the life of an individual. But there is a general aspect to this. In fact, my friend and colleague, Mr. Vajpayee, has referred to it. It is not always a case of promotion and it is not always a case of monetary attraction which frustrate a scientist or any individual and suicide, Sir, is the extreme form of expression of frustration. The environment, the working conditions, respect to the younger scientists, the way they are being dealt with—all these are very important things.

And as we know, reletively to our size of Plan expenditure we have spent a lot on scientific institutions, and because of that an academic bureacracy has also grown simultaneously. The major question is: Are you prepared—I am a member of the National Council of Indian Council of Agricultural Research—are you prepared to introduce conditions of democratic participation by the younger scientists in all respects, and are you prepared to see that in no way they are disrespected because they are young? You have been a venerable Speaker in the other House. Will that prevent you from learning from the Chairman of the Rajya Sabha....

MR. CHAIRMAN: No, No.....

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: ... In referring the whole matter to the Public Accounts Committee at least? The P. A. C. has gone into certain matters of CSIR and Jawaharlal Nehru University also. You can still refer the matter to see how democracy can be introduced and the lives of young scientists need not be wasted in this matter.

SHRI G. S. DHILLON: Sir, I think the hon. Member referred to the time when I was the Speaker. By this time I have already forgotten that I used to be the Speaker. (*Interruptions*)

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: It is a part of our job to remind you.

SHRI G. S. DHILLON: I want to forget it, otherwise I won't be able to function as a Minister. It is much better when I used to be the Speaker. Now much water has flown. I don't think if I were the Speaker today, I would not have

been the same Speaker as at that time. It is a difficult matter.

About democratisation and young scientists, one point I thought I should bring to your notice is that in the case of promotions and assessment, the Director is not in the picture. There is the independent Agricultural Scientists Recruitment Board. And they do it. They do it after taking into consideration many points. If you like, I can mention them. Some of these are old record, his performance, his research results, publications and all that. So it is not the Director. The assessment is always done, whether of the young, the medium age or old, by the Recruitment Board.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: This is not the assessment only. It is his participation in reserach formulations. He may be dishonoured. I mentioned the wider question. I mention democratisation.

SHRI G. S. DHILLON: This is not a public undertaking. There is participation. They are consulted. We are able to discuss with them. If they have any problems, my colleague, myself, the Director General and his Secretaries, all are available.

SHRI KAPIL VERMA: Sir, it appears that there has been a lot of frustration among scientists and there have been a number of suicides. The Supreme Court has also passed certain strictures. I want to know from the Government what spedific measures have been taken to remove the genuine grievances of scientists. The Government has rejected the demand for a Parliamentary Committee. I want to know whether the Government will agree to a high-level committee not only of scientists but also some others which may inspire confidence in the scientists working there and the general public also. so that, their confidence is restored.

SHRI G. S. DHILLON: These suicides relate to 1972-73. As I have already told you, the suggestions or the directions given by the Supreme Court, we have been able to implement them all. So far as other matters that you have referred to are concerned, I am thinking of getting the working reviewed and in that review we will consider all these matters and if need be, I shall take the House into confidence after the review is given to me. Rather I shall bring it to your notice.

*162. [*Transferred to the 25th November*, 1986.]

Memorial in Honour of Freedom Fighters

*163. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of memorials erected in the country in honour of freedom fighters during the last three years;

(b) whether there is any proposal under Government's consideration to erect at least one such memorial at every tehsil/taluka headquarter; and

(c) if so, what would be the form of the memorials to be erected?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Information is being collected from the State Governments/Union Territory Administrations and will be placed on the Table of the Sabha.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, at a time when fissiparous tendencies are showing signs amongst people in different parts of the country, it is imperative that in order to make our younger generation conscious and aware of the sacrifices, immense sacrifices by our forefathers,—it is absolutely imperative,—we should construct various memorials in honour of the freedom fighters.